

## एसटी छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप

इस योजना के तहत, एसटी छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उच्च अध्ययन करने के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है। समय अंतराल के परिणामस्वरूप परतों को हटाने और एसटी छात्रों के लिए दो केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी पर उचित नियंत्रण की सुविधा के लिए; राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप और उच्च श्रेणी की शिक्षा, मंत्रालय ने इन दोनों योजनाओं को "एसटी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति" नामक एक एकल केंद्रीय क्षेत्र योजना में मिला दिया। 20 अप्रैल, 2015 को दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

### उद्देश्य

फेलोशिप: इस योजना का उद्देश्य एसटी छात्रों, देश के सबसे कम साक्षरता स्तर वाले समाज के एक वर्ग को प्रोत्साहित करना है, एम। फिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए फेलोशिप के रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त करना है। शिक्षकों / पेशेवरों और रोजगार के अन्य उच्च चरणों के पदों को रखने के लिए योग्य पेशेवर बनाने के लिए एक दृश्य

छात्रवृत्ति: एसटी छात्रों का उद्देश्य मेधावी एसटी छात्रों को व्यावसायिक, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि जैसे पेशेवर क्षेत्रों में उत्कृष्टता, सरकारी और निजी संस्थानों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

## **पात्रता**

### **फेलोशिप**

- एसटी से संबंधित उम्मीदवार को फेलोशिप के लिए पात्र होने के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उम्मीदवार को विश्वविद्यालय और संस्थान के प्रवेश की शर्तों को पूरा करके UGC अधिनियम / आईसीएआर की धारा 2 (एफ) के तहत यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थानों में नियमित और पूर्णकालिक एम.फिल / पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश और पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए। ।
- विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थान की सूची, जो उप पैरा (i) में उल्लिखित है, मंत्रालय द्वारा पहचाना जाएगा ।।
- एसटी छात्रों को एक बार फेलोशिप के लिए पात्र माना जाता है वे केंद्र या स्टेट ई सरकार के किसी भी अन्य छात्रवृत्ति के लिए समान अध्ययन के हकदार नहीं होंगे।
- छात्र द्वारा प्रवेश प्राप्त करने और शोध कार्य शुरू करने के बाद फेलोशिप देय होगी।

- वरिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एक उम्मीदवार को इस संबंध में निर्धारित यूजीसी / आईसीएआर मानदंडों को पूरा करना होगा।

## **आवेदनप्रक्रिया**

आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन

फेलोशिप: फेलोशिप की योजना को प्रमुख समाचार पत्रों, रोजगार समाचार में विज्ञापित किया जाएगा। उम्मीदवार, अधिसूचित विश्वविद्यालयों / संस्थानों में पंजीकरण / प्रवेश पाने के बाद और फेलोशिप के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार उनकी पात्रता और उपयुक्तता का आकलन करने के बाद, ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। वर्ष 2019-20 के लिए एसटी उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन अब खुला है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है: - 30/09/2019, शाम 5:00 बजे।

छात्रवृत्ति: अधिसूचित विश्वविद्यालयों / संस्थानों में पंजीकरण / प्रवेश प्राप्त करने के बाद और छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार उनकी पात्रता और उपयुक्तता का आकलन करने के बाद उम्मीदवार विज्ञापन में दिए गए कटऑफ तिथि और समय के भीतर छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। वर्ष 2019-20 के लिए

ऑनलाइन आवेदन अब खुले हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है: - 31/10/2019।

एसटी के लिए योजना की फेलोशिप / छात्रवृत्ति राशि का भुगतान आधार पेमेंट ब्रिज के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड बैंक / आदिवासी मामलों के मंत्रालय से लाभार्थियों के खाते में किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर आधार नंबर प्राप्त करना चाहिए। लाभार्थी बैंक के आधार सीडिंग को a / c में भुगतान करते हुए NEFT के माध्यम से बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा